

श्री शिव चन्द्र भ्वा : राज्यों में सेस के बंटवारे का मापदंड क्या होगा ?

श्री भागवत भ्वा आजाद : यह स्वाभाविक ही है कि जिस क्षेत्र से यह सेस लिया जाता है, वहां काम करने वालों पर अधिक से अधिक संच किया जाये। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहां से अधिक राशि मिलती है और कुछ क्षेत्रों से कम राशि मिलती है। अगर एक अखिल भारतीय फंड हो, तो सभी क्षेत्रों को उस से ही रकम दी जाती है। लेकिन साधारणतः अधिक से अधिक राशि वहीं भूमिकों के उपकार के लिए संच की जाती है। सिद्धांततः उस में कोई गलती नहीं है और हम उस के अनुसार काम भो करते हैं।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

*The motion was adopted.*

AGRICULTURAL PRODUCE  
CESS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE,  
COMMUNITY DEVELOPMENT AND  
COOPERATION (SHRI ANNASAHIB  
SHINDE) : On behalf of Shri F. A. Ahmed,  
I move :

"That the Bill further to amend the  
Agricultural Produce Cess Act, 1940  
be taken into consideration."

There is already a law on the statute and this Bill only seeks to make some amendments. A few amendments are of a substantive nature while the others are of a consequential nature.

15.32 hrs.

SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*

The Act has been in force for sometime and the proceeds of the cess go to help the Indian Council of Agricultural Research.

The House has appreciated the valuable contribution made by the ICAR for the development of agriculture in our country. One of the bright sides of our economy is the development of agriculture; it is due to the research work done in the field of agriculture. The 1940 Act provides for imposition of cess at the rate of one-half of one per cent *ad valorem* on all articles included in the Schedule to the Act which are exported from India. The Act, does not explicitly provide for levy of penalties in cases where the exporters attempt to evade payment of the cess. The amending Bill provides for some penalties in such cases.

Sometime back a Committee was appointed by the Government to go into the functioning of the customs houses and suggest simplification in the procedures adopted for the collection of customs duty. One of the suggestions of the Committee is that in supercession of the existing procedure of the collecting cess by cash on exports, the exporters, may be permitted, where the cess payable does not exceed Rs. 100, to affix customs revenue stamps equivalent to the cess payable on the basis of their own assessment of the value of the cargo. One of the amendments refers to this. Agricultural produce cess is in the nature of customs duty which is collected by the customs collectors. In actual practice, these Collectors have been exercising various powers vested in them under the Customs Act, 1962 in the matter of the collection of cess. It is now proposed to make a formal provision in the Agricultural Produce Cess Act to provide that the provisions of the customs Act, 1962 and the rules and regulations made there under shall apply to the levy and collection and refund under this Act also.

Then there is one more important amendment which improves upon the previous schedule. Already, under the original Act, under section 3, there is a schedule which enlists the commodities which are leviable for the cess under the Act. In the schedule to the principal Act, item 21 is "wool, raw". Now, instead of raw wool it is proposed to replace the existing item 21 by the words, "sheep's or lamb's wool or animal hair, whether or not scoured or cured." This is one of the amendments suggested in the Bill. Raw wool created

some doubts because raw wool may include some impurities and at the time of levying the customs duty, if the wool is a cleaned one, then perhaps somebody may make a point, perhaps even a legal point, that the cess is not leviable on the clean wool. So, in order to remove the doubt, we are clearing the position by amending item 21 to the schedule.

The other amendments are of a very minor nature. Where Central legislation has been referred to, we are putting in "Parliament." These are amendments which are not of much consequence, but they are necessary, because when the old legislation was enacted, Parliament was not there and the present Constitution was not there. So, some of these amendments are of a very minor nature which bring the law up to date.

I would submit to the House and to the hon. Members that the cess collected under this Act goes to the Indian Council of Agricultural Research for their research work. Therefore, it is not a controversial measure. I would seek the co-operation of all the members from all sections of the House so that this Bill is unanimously passed by this House.

MR. CHAIRMAN: Before I call other Members to speak, I have to make an amendment. The Prime Minister will make a statement at 6 p. m. today about Meghalaya.

Now, Mr. Meetha Lal Meena—absent, Mr. Y. D. Sharma—absent. Mr. Sarjoo Pandey.

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : प्रश्न्य महोदय, अभी मंत्री महोदय भाषण कर रहे थे तो उन्होंने इस बिल का उद्देश्य बताया कि बिल क्यों लाया गया। उन्होंने यह कहा कि कृषि-उप-कर के बिल में इसलिए संशोधन किया जा रहा है कि जो बाहर माल भेजा जाता है हिन्दुस्तान से उस पर एक्सपोर्ट अगार टैक्स नहीं देना चाहता है तो उसे इस में कोई बिधान नहीं है कि कैसे उस को सजा दी जाय। मुख्य उद्देश्य इस का यह है। और कुछ

छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं जिनका उन्होंने नाम लिया लेकिन मूल यही है। अब तो इस के ऊपर हमारे साथी शिव चन्द्र भा जी ने एक अमेंडमेंट दिया है। उस अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने यह कहा है कि दण्ड को बढ़ा दिया जाय, 6 महीने की सजा दी जाय। मैं इस के पक्ष में तो नहीं हूँ इसलिए कि आप चाहे कोई भी दण्ड बढ़ा दें, दण्ड प्रक्रिया को बढ़ाते रहिए इस देश में कुछ कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि जो चोरी करने वाले हैं वह इस सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। वह इस के अफसरों को और दूसरे लोगों को कानून में कर के हमेशा चोरी करते रहते हैं और दण्ड से बचते रहते हैं। इसलिए चाहे दण्ड कुछ भी बढ़ा दिया जाय उस से कुछ होने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस उद्योग को अपने हाथ में क्यों नहीं लेती? बजाय इस के कि प्राइवेट हाथों के जाँर ए इस काम को कराया जाय और यह रूपया मुनाफे में बदल जाय लेकिन अपने देश का माल बाहर के देशों में बेच कर हिन्दुस्तान के अन्दर उस का मुनाफा न लाएँ और उस को उसी देश के खजाने में जमा करें, उस से ज्यादा बेहतर, ज्यादा कल्याणकारी यह होता कि इस को आप नेशनलाइज करते और सरकार के हाथों में देते। कानून इस के लिए बनाना चाहिए। अगर कानून यह बनाना चाहें कि जो टैक्स की चोरी करता है उस को हफ सजा देंगे तो आप के भी बश की बात नहीं है। एक बात और मैं बता दूँ। सोशलिज्म के लिए आप कितना भी कुछ करो लेकिन आप के यह जो नोकरशाह बँडे हैं यह बिलकुल एंटी समाजवारी विचारों के हैं। आप चाहे कानून कुछ भी बना लें, ऐसे अफसर यहां बँडे हुए हैं जो आप की जो मूलभूत नीतियां हैं हमारे देश के सम्बन्ध में उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं।

इसलिए मैं पहली बात यह कहना चाहता हूँ कि विदेशी व्यापार चाहे जो भी हो चाहे

[श्री सरजू पांडेय]

गल्ले का हो, या अन्य किसी चीज का, इस से जो पैसा मिलेगा वह कृषि अनुसंधान में लगेगा। यह आपकी भावना बड़ी अच्छी है, लेकिन जिन के जरिए आप यह काम कराना चाहते हैं वह इस कदर भ्रष्ट है कि आप चाहे जो कुछ भी कानून बना लें उस का हमेशा उलटा अर्थ लगाते हैं और इस तरह चोरों की सहायता करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा यह जो चोरी करने वाले हैं यह ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि सिर्फ इसी का नहीं काफी उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण करिए, वरना ऐक्ट बनाने की कोई मंशा नहीं होता। हम रोज रोज ऐक्ट पास करते हैं। बीसों उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जमीन के प्रश्न को ले लीजिए। हम लोगों ने कानून बनाया। तमाम प्रान्तों ने बनाया। मगर जो ऐक्ट प्रान्तों ने बनाया उन का भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक तौर से नहीं हुआ। हजाराँ लोग जो भूमि चोर हैं, उन की रक्षा के लिये आप की सेना खड़ी हो गई, जब कि हम उन जमीनों को गरीबों में बांटना चाहते थे, सही मायनों में उस मंशा को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। इसी तरह से सैकड़ों कानून देश में बनते हैं, लेकिन आप की नीकरशाही उन का उल्टा प्रयोग करती है और उन का कोई लाभ नहीं होता है। इस लिये मैं चाहता हूँ कि इस उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण करें और इस को प्राइवेट हाथों में न जाने दें।

साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भा जी न जो अग्नेण्डमेन्ट दिया है—पेनल्टी के बारे में कि सजा 6 महीने दी जाय मैं उस का समर्थन नहीं करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि जीजें ची शेड्यूल से बाहर रह गई हैं,

जैसे हाथी दात वर्गनह, इन को भी शामिल कर लिया जाय।

मैं इस के सम्बन्ध में कोई लम्बा भाषण नहीं करना चाहता हूँ लेकिन एक बात जरूर चाहता हूँ कि इस देश के कल्याण के लिये और सही मायनों में कृषि को इन्सन्टिव देने के लिये और यदि आप चाहते हैं कि इस की वसूली ठीक तरह से हो, तो आप इस को प्राइवेट हाथों में जाने से रोकें। इस को सरकार अपने हाथ में ले और इस से जो मुनाफा होता है, उस को अनुसंधान के कामों पर लगायें। लेकिन जब तक यह प्राइवेट हाथों में रहेगा, कभी भी भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। कस्टम के अधिकारियों की हालत मुझे मालूम है, करोड़ों रूपयों का माल दफ्तर में पड़ा रहता है, हजारों रूपये का माल 10-10 पैसे में नीलाम कर देते हैं, इस तरह से देश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप के अधिकारी न समाजवाद को समझते हैं और न आप की भाषा को समझते हैं। जो जवान आप बोलते हैं, वह इन को मालूम नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप इस का राष्ट्रीयकरण करें ताकि जो पैसा इस से आये, उस का सही इस्तेमाल हो सके।

श्री सत्य नारायण सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, इस बिल की जो मंशा है, मैं उस का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जिन चीजों को हम बाहर निर्यात करते हैं, उस से जो कुछ आमदनी होती है, वह कृषि के उत्पादन को आगे बढ़ाने में लगाई जाय, कृषि आगे बढ़े, खाद्य की समस्या हल हो। लेकिन होता यह है कि जिन चीजों का निर्यात करते हैं, उन चीजों का धीरे धीरे हमारे मुल्क में उत्पादने बढ़ाने के बजाय घटता जा रहा है। बूल के मंशाल को ही ले लीजिये। पहले गांव-

गांव में भेड़ें पाली जाती थीं, उन से बूल निकलता था, चरागाह होते थे और उसऊन को बाहर भेजा जाता था, जिससे हिन्दुस्तान को आमदनी होती थी। आज चरागाहें खत्म होती जा रही हैं, भेड़ों का पालना बन्द हो रहा है। इस तरह से जब हमारा उत्पादन बढ़ने के बजाय घटता चला जायगा, तो फिर हम निर्यात कहां से करेंगे। इसी तरह से जो अन्य चीजें हैं, उन के उत्पादन की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। जितना हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उतना ही निर्यात बढ़ेगा और हमारे देश को ज्यादा आमदनी होगी और उस को देश के अन्य साधनों में लगाया जा सकेगा।

इस दृष्टि से यदि सरकार इन सारी चीजों की तरफ ध्यान दे और अपने निजाम को इस ढंग से बदले कि हमारा एटीचूड शरे राष्ट्र के विकास की तरफ लगे, तब हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। आज बहुत से बिल बनाये जाते हैं, लेकिन जीवन का अनुभव यह बताता है कि वे सब बेकार पड़ जाते हैं। हम जिस उद्देश्य से किसी बिल को बनाते हैं, लेकिन उस का परिणाम उलटा निकलता है। आज तक जो बिल बने हैं उनको ठीक ढंग से लागू करने के लिए गयर आपकी मशीनरी उसके काबिल नहीं होगी जो कि उसमें विश्वास करती हो तो आपका पूरा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें इस ढंग से बनाई जायें, इस प्रकार से निर्माण किया जाये जिससे कि वह धागे बढ़ें लेकिन अगर उसी उद्देश्य से आपकी मशीनरी काम नहीं करेगी तो इस देश को कोई लाभ नहीं होगा। आज हमें चारों तरफ दिखाई पड़ता है कि किसी किस्म का छोटा सा संकट भी मुल्क में पैदा हो जाता है तो उससे नाजायज फायदा उठाने की प्रवृत्ति देश में बढ़ती जा रही है। यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि जो लोग जहां पर बैठे हैं वे राष्ट्र के प्रति, देश, जनता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं। इसलिए मैं भन्नी जी

से कहूंगा कि जब आप इस तरह का बिल बनायें तो उसका ठीक से संचालन करने और उसको ठीक से लागू करने के लिए संगठन भी उसी तरह का बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी मंशा रहती है वह कभी पूरी न ही होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शिव चन्द्र भ्ना (मधुवनी) : सभापति जी, यह एक छोटा सा विधेयक है जिसके जरिए से आप मोटे तौर पर कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। जैसे कि शेड्यूल्ड में बूल की जगह पर आप यह परिवर्तन लाना चाहते हैं :

“Sheep's or lamb's wool and animal hair, whether or not scoured or carded.”

मन्त्री महोदय ने यहां पर भाषण करते हुए यह साफ नहीं किया कि शीप और लैम्ब वूल और एनिमल हेयर का सन 40 या 47 के बाद से इस देश से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है जिस पर कि सेस इवेड किया जाता है और जिसका कि आपको शक है कि ये चीजें कस्टम की मार्फत एक्सपोर्ट की जाती हैं और इससे जो ड्यूटी आनी चाहिए वह नहीं आ रही है? इसका हिसाब उन्होंने नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि जरा वे बतायें कि कितना अब तक शीप और लैम्ब वूल और एनिमल हेयर गया है? वे इस बात की भी सफाई करें कि कौन कौन से एनिमल हेयर एक्सपोर्ट होते हैं जिन पर कि सेस इवेड किया जाता है। इसकी सफाई उन्होंने नहीं की है। अब आपने इसमें जो बढ़ाया उस पर मेरा भी एक संशोधन है जिस पर कि मैं बाद में बोलूंगा। मैं समझता हूं जिसके लिए यह विधेयक है, जिन चीजों पर आप सेस लगाना चाहते हैं जैसे एनिमल हेयर है उसी तरह से बाघ की खाल है जो कि नेपाल में जाती है और उस पर सेस के रूप में जो एक छोटी सी रकम मिलनी चाहिए

[श्री शिव चन्द्र भा]

वह नहीं मिलती है। इसी तरह से हाथी का दांत है। वह भी बाहर जाता है। तो इन चीजों को भी इसमें जोड़ देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी सफाई दें कि इन चीजों को जोड़ने में उनको क्या एतराज हो सकता? इस के साथ जो वे जोड़ रहे हैं उसमें कितना इवेजुन हुआ है जिस पर उनको शक है और जिसके लिए वे इस विधेयक को लाकर के परिवर्तन करना चाहते हैं?

दूसरी बात यह है कि क्लाज (4) के जरिए से कस्टम आफिसर्स को कुछ ज्यादा पावर्स दी जा—रही हैं—जैसे लेवी करने में, रिफंड करने में, कोई भूठ बनाले तो उस सब के लिए ज्यादा पावर्स दी जा रही हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ इस पर आपको ठीक से सोचना चाहिए। कस्टम आफिसर्स खुद गो-विटवीन हैं। वहाँ पर तमाम घाघली फॅली हुई है। सब के सब दलाल हैं। मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सर जमीन पर यहाँ का नागरिक अपना बदन लेकर उतरता है तो भी कस्टम के रूप में उसको कुछ देना पड़ता है। (ध्यवधान) मुझ को बम्बई पोर्ट पर चार रुपए देने पड़े थे सिर्फ क्लियरेंस के लिए, अपने देश में जाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि मुझ को रसीद दी गई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्लाज 4 के जरिए जो आप उनको पावर्स दे रहे हैं उन पर गौर से सोचना चाहिए और मशीनरी को अपटुडेट और बिजिलेन्ट बनाना चाहिए।

जहाँ तक सजा की बात है उसके लिए मेरा संशोधन है कि उस सजा को और सख्त होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो चीजें ये ऐक्ट में लाना चाहते हैं उसकी थोड़ी सफाई दे दें और मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लें।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, मिनिस्टर साहब जो बिल हाउस के सामने लाये हैं, इसका जो मकसद है इसकी मैं वेहद तारीफ करता हूँ। जैसा उन्होंने खुद बताया कि दिल्ली का जो ऐग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको माली हमदाद देना और उस की माली हालत को सुधारने का उन का विचार है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च बढ़े इसी लिये सैस लगाया जा रहा है, यह एक बहुत मौके की बात है। यह एक पुन्य का काम है, जैसे पीपल के पेड़ को पानी देते हैं वैसे ही यह काम इन्होंने किया है। प्राप कहेंगे कि यह मैं क्यों कह रहा हूँ। यह इसलिए कहता हूँ कि किसान अन्न देता है, सारे देश को खिलाता है। लेकिन एक हद है उसकी मेहनत की और आप खुद किसान हैं। ला आफ डिमिनिशिन रिटर्न है जिसके मुताबिक एक सैचुरेटेड पौंड्रं आ जाता है, खर्च भी आप ज्यादा कर दीजिए फिर भी रिटर्न पूरा मिलता है। किसान ने काफी मेहनत की लेकिन इतना करने के बाद भी हम पूरी पैदावार नहीं ले पाते हैं जो कि उसकी मिलनी चाहिये। उस सिलसिले में ऐग्रीकल्चर में जो रिसर्च का काम हुआ है यह एक इनक्लाब है। श्रीन रिवील्यूशन जो भारत में आया जहाँ किसान का उस में एक बहुत बड़ा हिस्सा था वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूशन का भी, चाहे वह पन्त नगर हो या कोयम्बटूर और कटक का इंस्टीट्यूट हो जहाँ कि राइस का काम होता है, चाहे लुबियाना या हिसार का इंस्टीट्यूट हो, इन सब ने जो रिसर्च का काम किया है वह भी इस रिवील्यूशन में शामिल है।

यह सही बात है कि ये इंस्टीट्यूशनस ऐसे के बगैर तड़फ रहे हैं। एक एक साइन्टिस्ट को हमने देखा, जिन को देखकर दुख होता है कि जापान, अमरीका और कॅनाडा से अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो कर आये हैं लेकिन उनको यहाँ 200 या 300 रुपये तनक्वाह दी जाती है।

अगर बाहर के देशों को यह पता चल जाये कि हमारे यहाँ इतने अच्छे साइन्टिस्ट्स हैं और इतनी कम तनस्वाह उन को मिलती है तो वह उन को अपने यहाँ हजारों रु० दे सकते हैं। ये लोग देश की बड़ी भारी सेवा कर रहे हैं, देश भक्ति का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ कि हाइड्रोजन बम, एटम बम या हवाई जहाज तोड़ने के जो हथियार बनाते हैं वे साइंसि इनना जबरदस्त काम नहीं कर रहे हैं जितना कि ऐग्रीकल्चर में लगे हुए साइन्टिस्ट्स कर रहे हैं। यही लोग नैशनल कन्सर्वेशन का काम कर रहे हैं। 50 करोड़ इन्सानों में से 40 करोड़ इन्सान देहात में रहते हैं उन का स्टैंडर्ड आफ लिविंग किस तरह से ऊँचा हो जो किसान आज कपड़े, खाने और रहने की परेशानियों में फंसा है, उस की हालत कैसे सुधरी, इसका काम यह लोग करते हैं। जब जमीन की पैदावार बढ़ेगी तो उसकी माली हालत सुधरेगी और उसकी परेशानियाँ अपने आप खत्म हो जायेगी।

आप को पता है कि जो शंकर बाजरा है उस बैरायटी ने एक इन्कलाब ला दिया बाजरे के फील्ड में। इसी तरह से ज्वार, मक्की में और मैक्सिकन गेहूँ ने गेहूँ के क्षेत्र में इन्कलाब ला दिया है जिन से कई गुना पैदावार हो रही है। 50 मिलियन टन से जो हमारा उत्पादन 112 मिलियन टन पहुँचा है वह इसी की वजह से है। किसान भी एक हद तक मेहनत कर सकता है, गाड़ी की रफतार हवाई जहाज की रफतार नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा तीन, चार मील फी घंटे ही उस की रफतार बढ़ सकती है। तो यह जो रफतार पैदावार की बढ़ी है इस में ऐग्रीकल्चरल साइन्टिस्ट्स का बड़ा हाथ है। यह रफतार कोरी उनकी तारीफ़ करने की वजह से नहीं है, बल्कि उनका सौलिड काम इस रफतार के पीछे है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जगह जगह

पर, एक एक पेड़ के पास, बाजरे के पेड़ के पास, मक्का के पेड़ के पास, जीरी के पेड़ के पास, गन्ने के पास बँटो बँटो एक एक साइन्टिस्ट बूढ़ा हो गया है। एक साइन्टिस्ट हैं, जिन का नाम शायद समस्त नाथ है, ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। आप के डा० स्वामीनाथन क्या हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है। इन्होंने जो इतना अच्छा काम किया है तो क्या आप इन्हें इसी तस्वाह पर रखे रहेंगे। आप इन को पेंसा दीजिए और ये कृषि उत्पादन के मामले में एक रेवोल्यूशन ला देंगे और हिन्दुस्तान तो क्या दुनिया भर की मंडियों को अनाज से भर देंगे। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि इन ऐग्रीकल्चरल साइन्टिस्ट्स ने कितना अच्छा काम किया है। आप के आई० सी० एस० और आ० ए० एस० जिनको आप ने चौधरी बना दिया है तो केवल आप की कुर्मियों को डेकोरेट करते हैं, लेकिन ये लोग देश की असली सेवा करते हैं। इस लिए आप इन ऐग्रीकल्चरल साइन्टिस्ट्स की तस्वाहें बढ़ाएँ। अगर आप इन की तस्वाहें बढ़ाते हैं तो किसानों, हरिजनों और वेकवर्ड लोगों की तस्वाहें अपने आप बढ़ जाती हैं क्योंकि जो ये पेंसा करेंगे वह उनके घर जायेगा। आई० सी० एस० की तस्वाहों तो कार और लिपस्टिक खरीदने में और दूसरे ऐसे ही कामों में खत्म हो जायेंगी। इस लिए मैं आप की मारफत मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप इन ऐग्रीकल्चरल साइन्टिस्ट्स की तस्वाहें बढ़ाएँ, चाहे आप औरों की तस्वाहें घटा दें।

यह ज्यादा उपज देने वाला बीज किसने पैदा किया ? यह इन्हीं साइन्टिस्टों ने पैदा किया जिसके बारे में अभी एक भाई कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सा यह बीज चाहिये। इस लिए मैं बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूँ कि साइन्टिस्टों की तस्वाहें बढ़ाना एक हजार पत्रियों को सुबह खाना खिलाने से बेहतर है। इसकी

[श्री रणधीर सिंह]

तन्स्वाहें इतनी कम हैं कि मुझे जानकर बड़ा दुख होता है।

एक साइंटिस्ट रो पड़ा और कहा कि हमारी इतनी कम तन्स्वाह है। मैं ने कहा बेटा, घबड़ाओ नहीं सब को इसका पता है और सारी पालियामेंट को इसका पता है और वह आप लोगों की तन्स्वाह बढ़ाना चाहती है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह देश तब तक भ्रागे नहीं बढ़ेगा और इसमें तब तक इंकलाव नहीं आयेगा जब तक की आप यहां के 90 और 95 परसेंट लोगों का स्टेन्डर्ड आफ लिविंग हाई नहीं करेंगे। वह कैसे हाई होगा? वह हाई होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। इन लोगों ने इस क्षेत्र में बड़ा इंकलाव ला दिया और बहुत सी वेर्राईटीज ऐसी निकाली जिससे उपज बहुत ज्यादा होने लगी। मल्टी क्रोपिंग इन्होंने करवा दिया और किसान एक एक साल साल में चार चार फसले लेने लगा। इस से इन्होंने किसानों में जान डाल दी और जो किसान पहले मालगुजारी भी नहीं दे सकता था, उसको अब कुछ पैसा मिलने लगा। वाटर मैनेजमेंट इन्होंने किया। किसानों को जहां पता नहीं था वहां वे 50 परसेंट से ज्यादा पानी दे कर फसल को खराब कर देते थे या पानी के इन्तजार में फसल के लिए बीज बोते ही नहीं थे। हम ने देखा कि वहां लुख इलाकों में वाटर मैनेजमेंट की वजह से और ट्यूनबैल्स की वजह से पेढी उगने लगी। ये सब इन्हीं की बदौलत हुआ :

तू शाही है—प्रवाज है काम तेरा

तेरा काम है—सामने आसमान तेरा।

अभी तो इन्होंने काम-शुरू ही किया है, फन्डस नहीं हैं। अगर फंड्स होंगे तो मैं

कहूंगा कि आप आस्ट्रेलिया, यू० ए० ए० की ओर अमरीका की क्या बात करते हैं सारी दुनिया में हम प्रनाज से मार्केटों को फुलड कर देंगे। मैं आप की मारफत मंत्री से कहना चाहता हूँ कि यह जो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को आम्स देने की बात करते है, अगर इन साइंटिस्टों द्वारा तैयार किया गया फारमूला किसानों के पास पहुंच जाए, तो उससे इतना ज्यादा पैदावार हो जाएगी कि हमको काफी पैसा मिलेगा और हम पाकिस्तान को जहां से वह निकला है वहीं घुसेड़ देंगे। अमरीका क्या है; अगर हमारे यहाँ कृषि की पैदावार बढ़ जाए तो यहां पर एक इंकलाब आएगा। इसमें सारे पते की बात यह है कि इन्हीं साइंटिस्टों की बजह से यह हो सकता है। इन्हें आप इस चश्मे से देखें कि ये किसान हैं, यह मजदूर हैं, और इनकी तन्स्वाहें हमें बढ़ानी चाहिए जिस से कि यह नई क्रान्ति ला सकें।

मैं आप की मारफत मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि आप को बघाई है कि आपने इतना नेक काम किया है—नेक काम तो आप करते हैं क्योंकि आपके दिल में तड़फ है, किसानों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। आप को इसी लिए सब से टायमोस्ट प्रारटी का सबजेक्ट दिया गया है। मैं ही आपकी तारीफ नहीं करता बल्कि सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं। आपने एक कमीशन मुकर्रर कर दिया। यह यह बहुत ही अच्छा काम आप ने किया। वह कमीशन जो है वह भी यही बात लिख कर भेजेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कमीशन जो रिकमेन्ड करे उस को पालियामेंट को मानना चाहिये और गर्वनमेंट को मानना चाहिए, नहीं तो हमें उस की मेम्बरी नहीं चाहिए। हम सारी किसानों के फायदे की बातें करेंगे। इसलिए मैं आप से अपील करता हूँ और दो बार बात कहते हुए मैं चाहूंगा कि आप इन एग्रीकलचरल साइंटिस्ट्स की तन्स्वाहें बढ़ाएं।

एक बात और है। सिर्फ एग्रोकलचरल रिसर्च की बात आप ने दिल्ली वालों के लिए ही क्यों की है। देश के दूसरे हिस्से भी हैं। मैं पंजाब और हरियाने की बात नहीं करता सारे देश किसान सेवादार हैं। महाराष्ट्र में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो सब जगह वही हालत है। जो भी इंस्टीट्यूट हो, सब जगह आपस में चौघराहट का भगड़ा है। जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन में भी वही बात है। सब कहते हैं कि हम बड़े चौघरी हैं, हम ने वह तीर मारा, हमने वह तीर मारा। मैं कहता हूँ कि चाहे बाजरा हो, चाहे जगन्नाथ राइस हो, वह इन्कलाव ला देंगे। 82 दिन में बहुत बड़ी पैडी की फसल होती है। कटक यूनिवर्सिटी ने 80-82 दिन में राइस की फसल पैदा कर दिया। जगन्नाथ हो, जया वाला हो, या जो भी बीज बतलाये गये, या आप का संकर बाजरा हो, वह इतना हो जायेगा कि रखने की जगह नहीं मिलेगी।

हम एक देश में गये जहाँ दूध और घी समुद्र में डाला जाता है। आप ताज़ुब करेंगे कि यह गलत बात कहता है या सच्ची बात कहता है, लेकिन यह यही बात है। वहाँ दूध और घी को समुद्र में डालते हैं, जहाँ आपने हम लोगों को भेजा। मेरा मतलब नीदरलैंड्स से है। हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम शराब पीते, हमारे बाप दादा ने उम्र को नहीं देखा। हमारे यहाँ तो दूध हैं। उन्होंने हमको सुबह एक दूध का जार दे दिया पीने के लिए। आप देखिये कि उसकी पैदावार कितनी है। कुल बीस पैसे में एक सेर नहीं, पांच सेर दूध ले लीजिए ? लेकिन वह लोग उसको अपने ही देश में इस्तेमाल करते हैं, हिन्दुस्तान और आस्ट्रेलिया नहीं भेजते। पालियामेंट्री डेलिसेशन वाले कहते हैं कि तुम इस मामले को क्यों नहीं उठाते कि वह दूध हिन्दुस्तान को दिलाया जाये ? किसान के बच्चे ने गंगा देखी है। तुम्हारे तो ब्राप ने भी

नहीं देखी होगी। हम से वह कहते हैं कि हम दूध भेजने के लिए कहें। हम उनके बाप दादों को दूध भेजेंगे। हमारा देश तो सारे संसार को खिलाने वाला देश रहा है। वह वक्त फिर हमारे देश में आ सकता है जब हमारे यहाँ दूध और घी की नदियां बहेंगी। वह दिन हमारे यहाँ रह चुका है, अगर जैसा इस बिल में कहा गया है हर इंस्टीट्यूट में रिसर्च हो और बढ़िया से बढ़िया गायें और भैंसें तैयार की जाएं। हम आने यहाँ अच्छी से अच्छी वेरायटी के ऐनिमिल्स पैदा करें और हमारे यहाँ शानदार मेकदार में दूध और घी हो।

लेकिन इस सब काम को रोकने के लिए पैसे की कमी है हिन्दुस्तान में हम पैसे कहाँ से लायेंगे ? कटक यूनिवर्सिटी में हम ने देखा कि तीस साल से वही गायें और भैंसें पाल रखी हैं, वही बुल बांध रखे हैं। इतने दिनों में वहाँ कोई तब्दीली नहीं हुई। (व्यवधान) जो लोग बोल रहे हैं उन को शर्म आनी चाहिये। यह दूकानदारी की बात नहीं है, डंडी मारने की बात नहीं है, चोरबाजारी की बात नहीं है। आज इन लोगों ने देश पर जब्दस्ती कब्जा जमा रक्खा है। आज इन लोगों को किसान के साथ क्या हमदर्दी हो सकती है ? जब बात आती है किसान की तब वह प्रखबारों में छपती नहीं है। जब बात आती है पालियामेंट में तब यहाँ पर लोग ऊटपटांग मुस्कराने की कोशिश करते हैं। आखिर इस देश को किसान लोगों को ही बड़ा बनाना है। आज उन की तादाद सारे मुल्क के अन्दर 80-82 फीसदी है। जो उन की मुसाली-फत करेंगे उन की नाब यहाँ आकर डूब जायेगी यह पते की बात है।

मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि हर इंस्टीट्यूट में, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दूसरी जगहों पर भी पूरा कोआडिनेशन किया जाय। जहाँ जहाँ पर आपने साइटिस्ट भेजे हुए हैं वहाँ



[श्री रणधीर सिंह]

मुस्तलिफ किस्म की रिसर्च हो। कोई खास गेहूँ की रिसर्च की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। चावल की रिसर्च हो, गन्ने की रिसर्च हो, ग्राउंड नट की रिसर्च हो, काटन की रिसर्च हो। मैं आप की माफ़त मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं महाराष्ट्र का नाम लूँ तो वह घबरा न जाए। वह सारे देश हैं और हमको सारे देश की बात कहनी है, सिर्फ़ दिल्ली की नहीं। यह कौआडिनेशन करें, सब जगह पैसा भेजें। तीस चालीस साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनको पूरी तस्वाह दी जाये। आज वह कई हजार रुपये के मुस्तहक हैं, लेकिन उन को दो-दो और तीन तीन सौ रुपये तस्वाह दी जा रही है। मैं कोई जज्बात की बात नहीं कह रहा हूँ। यहां भंडी लेकर वनर्जी खड़े हो जाते हैं कि लिविंग वेज चाहिये। यह सौदागरी नहीं है। जो असली काम करते हैं वह भंडी लेकर नहीं आते, वनर्जी को भी उन के नजदीक नहीं आना चाहिए। अगर वहां वनर्जी पहुंच जायें तो वह लोग उन की गर्दन पकड़ लें। मैं ने साइंटिस्ट्स से कहा कि वरें ताज्जुब की बात है कि इतनी कम तस्वाह तुम को मिल रही है। तुम्हारी तस्वाह बढ़नी चाहिये, क्यों तुम कमिशन से नहीं कहते? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? कहने लगे कि साहब तस्वाह हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं अपार्चूनिटी रिसर्च के लिए। यह तो प्रोफेसर का जवाब है। यह तस्वाह नहीं चाहते। अपनी दुकान खोलकर हजारों रूपयों का ब्लेक वह कर सकते हैं, इम्पूवंड सीड्स पैदा करके वह साइलेंट रिवोल्यूशन कर सकते हैं। वह कुर्बानी करते हैं, वेहतरनी देशभक्त हैं, उन को कई कई हजार रुपये तस्वाह मिल सकती हैं, लेकिन 200 और 300 रुपये तस्वाह ले रहे हैं। आप उनकी कंडिशन को सुधारें। वह देश के भले की बात है। मैं दुवारा मिनिस्टर साहब को शाबाश देना हूँ। इस किस्म की चीज सारे हिन्दुस्तान में आप करें, कौआडिनेशन

आप करें ताकि देश का लाभ हो, किसानों को लाभ हो, देहातों को लाभ हो, हरिजन और बैक्वडंभाइयों को फायदा हो और क्रान्ति जो बीस परसेंट आई है, दो सौ परसेंट आए और हम दुनिया को लाद दें गेहूँ आदि से और यह देश एक महान देश बने।

श्री अब्दुल गनी डार (गुडगांव) इस बिल का जो मकसद है। उससे मैं सौ परसेंट इतकाफ करता हूँ श्री रणधीर सिंह ने जोश में बात कही है। अगर बाकई में किसान की हालत अच्छी होती है तो सभी खुश होंगे। भाई रणधीर सिंह को पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट तो खिदमत करेंगे और उनको करनी चाहिए और उन को जितने इनकरेजमेंट दी जाए, कम है। लेकिन पचास परसेंट किसान ऐसे हैं जिन के पास पांच एकड़ से भी कम जमीन है और उनको रिसर्च का कोई लाभ नहीं पहुंचता है। उनको न पानी मिलता है और न कोई दूसरी मदद मिलती है। यही कारण है कि हरिजनों को, भ्रादिवासियों को तथा दूसरे लोगों को जो जमीनें दी गई हैं उन से वे फायदा नहीं उठा सके हैं और उनके पास जो जमीनें थीं वे भी उजड़ गई हैं। किसान की प्रोड्यूस कितनी बढ़ी है? यह कहा जाता है कि साइंटिस्ट्स की वजह से ही हम चार चार पैदावारें लेने लगे हैं। अगर किसान की हालत अच्छी हुई होती और जो अस्सी परसेंट है उन की हालत बेहतर हुई होती तो दूध और घी की नदियां बह जाती और हिन्दुस्तान जो कि जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था, फिर से सोने की चिड़िया बन जाता।

आप सिर्फ़ सहारा डूंदते हैं, सैस लगाकर एमेंडिंग बिल लाकर। इसी तरह से आप किसान को खुश करना चाहते हैं। तकरीर करके किसान को खुश करना चाहते हैं। इससे बात नहीं बनेगी। इस देश का साठ परसेंट सिपाहियों पर, और दुनिया को तवाह और बरवाद करने

पर या अपने विरोधियों का मुकाबला करने पर लग रहा है। उस हालत में क्या आप समझ सकते हैं कि किसान की हालत बेहतर हो जाएगी ? अगर आप समझते हैं कि हो जाएगी तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सेंस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई वहस नहीं है। साइंटिस्ट अगर कोई अच्छा काम करते हैं और वह किसान की भलाई में चीज काम आती है, तो किसान की हालत बेहतर होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान की हालत आज बदतर है। करोड़ों नहीं बल्कि लाखों की फसल उनकी फलड्स की नजर हो जाती, जो बेचारे पैदा करते हैं, वह फलड्स की नजर हो जाता है। क्या साइंटिस्ट दिमाग लड़ाएंगे कि किस तरह से फलड्स को रोका जा सकता है। 23 बरस आपको राज करते हो गए हैं। आज तक कितने अरब रुपये की फसल आपने किसान की डुबोई है, क्या इसका आप जवाब देंगे ? क्या आप भी इस पर दिमाग लड़ाएंगे ? ब्रह्मपुत्र जिस की बजह से हर साल तवाही आती है उसके पानी को किस तरह से काबू में लाया जाए, क्या आप इस पर विचार करेंगे, क्या वहां डैम बना कर किसानों को पानी आप नहीं दे सकते हैं और क्या इसी तरह के काम दूकरे स्थानों पर नहीं कर सकते हैं ? यहाँ पर बावें तो बहुत होती है लेकिन वास्तव में होता बहुत कम है।

पाकिस्तान को रूस और यू एस ए से जो हथियार मिल रहे हैं, उसकी भी बहुत चर्चा होती है कि वह तो एक चिड़िया है, बकरी है लेकिन तुम तो हाथी हो : हाथी हो कर क्यों उसकी निन्दा करते हो। अगर तुम को मुकाबला करना ही है तो चीन का करो। चीन ने जिस तरह से अपनी पैदावार बढ़ाई है उस तरह से तुम भी अपनी पैदावार बढ़ाओ। उसके साथ अपनी पैदावार को मिलाओ। चीन ने थोड़े वक्त में गेहूँ आदि की पैदावार हम से कहीं ज्यादा कर ली है, खुराक की पैदावार कहीं ज्यादा कर ली है। यू एस ए या किसी दूसरे

देश का वह मुहताज नहीं है जबकि हम हैं।

साइंटिस्ट काबिले मुबारिकवाद हैं कि उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन बीज बनाने की कोशिश की है जिससे पैदावार बढ़ सके। लेकिन उस बीज का इस्तेमाल कितना हुआ है। मैं देखता हूँ कि अब भी आप बाहर से गल्ला मंगाते हैं। किसान जो गरीब है वह उसका इस्तेमाल कर नहीं पाता है। रणधीर सिंह जी कर पाते हों तो मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि वह उन दस में से एक हों जिन के पास पचास स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन हो।

श्री रणधीर सिंह : मेरे पास ढाई भी नहीं है।

श्री अश्वल गनी डार : तो आपके और मेरे लिए कोई जगह नहीं है ऐस बिल के आने से। किसान का भला होने वाला नहीं है। अगर सरकार किसान का भला चाहती है, तो वह कोई ऐसी शकल निकाले कि फीज पर हमारा खर्च कम हो। यह सरकार पाकिस्तान और चाइना से अच्छे ताल्लुकत कायम करने की कोशिश क्यों नहीं करती है; आखिर किस खुदाने कहा है कि हमेशा दिमाग में यही बात रखी जाये कि वे हमारे दुश्मन हैं। इस वक्त हमारा साट परसेंट खर्चा फीज पर हो रहा है, एग्रीकल्चर पर नहीं। इस सेस का असर भी तो गरीब लोगों पर ही होने वाला है। कोई बिड़ला और टाटा इस में नहीं फंसेंगे।

हमारे साइंटिस्ट्स तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आज हालत यह है कि दूसरे लोग जो डैम बनाते हैं, उन में शिगाफ हो जाते हैं, डैम वह जाते हैं और सैकड़ों आदमी वह जाते हैं, जँके कि यू० पी० में पाँच सौ आदमी वह गये। इस हालत में साइंटिस्ट क्या करेगा और सेस भी क्या करेगा ? हमारे मुल्क में इतना बड़ा पब्लिक सैक्टर कायम किया गया है, किसानों ने मेहनत की है, साइंटिस्ट्स ने अपनी काबलियत दिखाई है। लेकिन आज

[श्री अब्दुल गनी डार]

हमारी पर केपिटा इनकम एक गरीब से गरीब मुल्क से भी कम है। श्रीमती इन्दिरा गांधी क्या इस बारे में कोई जबाब दे सकेंगी ?

मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि मेरी बहन, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने अपने बेटे को तरक्की का मौका दिया। देना चाहिए। क्यों न दें ? प्राइम मिनिस्टर होने की बजह से उन बेचारी पर कोई पाबन्धी नहीं लग जाती है कि अगर उन के बच्चे का दिमाग चलता है, तो उस को मौका न दिया जाये। लेकिन यह सजता नहीं है कि कोई ताकत में हो और ..... (व्यवधान) ..... में कोई चोट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कहा है कि मुझे इस से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन को भी यह चाहिए था कि वह अपनी तरफ देखने के बजाये श्री रणधीर सिंह या किसी किसान के लड़के को यह मौका दे देती।

श्री रणधीर सिंह ने इस बारे में जानवरों का जिक्र किया है। मैं आपने आप को भी शामिल कर के कहना चाहता हूँ, "दी शेख वा चिराग, हमारा गश्त गिर्दे शहर, कजदामों दद मलूलमो इन्सानम आरजूस्त।" आज से नौ सौ बरस पहले मौलाना रूमी ने कहा कि हम ने इन्सान दूँडने की कोशिश की, लेकिन चौपाये मिले, दरिन्दे मिले, मगर इन्सान नहीं मिले।

सरकार यह संय ज़रूर लगाये, लेकिन वह यह भी सोचने कि कोशिश करे कि आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है और आया किसान को इत्मीनान की जिन्दगी मुयस्सर है कि वह साइंटिस्ट्स के दिमाग का पूरा फायदा उठा सके। आज साइंटिस्ट के दिमाग का फायदा यह है कि घर घर में देसी बम बन रहे हैं। दिल्ली में और पलबल में छुरा दिखा कर किसानों को लूट लिया जाता है।

मुझे खुशी है कि मिनिस्टर साहब यह एक अच्छा बिल लाये हैं, लेकिन अगर सरकार बाकई किसान की मदद करना चाहती है, तो वह पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाये। याहिया खाँ ने कहा है कि काश्मीर में दोनों तरफ से फौजें हटा ली जायें। सरकार अपनी फौजें हटा लें। हम बहुत बड़ी ताकत वाले हैं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि फिनांस बिल या प्रोजिडेंट के एड्रेस के समय ये सारी बातें कही जा सकती हैं। तो यह पाकिस्तान का और चाइना का सम्बन्ध इस बिल से नहीं हो जाता है या कार का सम्बन्ध इस से नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो विषय है उसी पर स्टिक कीजिए।

श्री अब्दुल गनी डार : मैं आप का हुकम मानूंगा। यह तो चूँकि रणधीर सिंह ने यह बात छेड़ी थी और आप ने एतराज नहीं किया था इसलिए मैंने समझा कि चेयरमैन साहब की खुशी इस में है कि यह बात भी आती है तो आ जाय।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आप साइंस की जो भी खिदमत करना चाहते हैं उस के लिए आप ने क्या स्कीम बनाई यह जरा ध्यान सोचें। क्या यह सच नहीं कि हमारे एक साइंटिस्ट डा० जोसेफ ने आत्म हत्या कर ली ? क्या उसे अपने बच्चों का पेट भरने का अधिकार नहीं ? वगैर तमस्वाह के तो कोई भी काम नहीं कर सकता यह बात केवल कहने की है। वगैर तमस्वाह के न हम यहाँ आ सकते हैं न कोई आ सकता है। इसलिए उन को पूरा एन्करेमेंट मिलना चाहिए। आप ने हैयर का जिक्र किया, किस चीज का हैयर ? भेड का हैयर, बकरी का हैयर, ऊँट का हैयर, सुअर का हैयर और इस में हाथी के दाँत को शामिल करना चाहते हैं



میں لایا جاسکے اور کیا آپ اس پر چارہ کر سکتے ہیں۔ کیا وہاں کوئی بنا کر کسانوں کو پانی آپ نہیں دے سکتے ہیں اور کیا اس طرح کے کام دوسرے سخاؤں پر نہیں کیے جاسکتے ہیں۔ یہاں پر پانی تو بہت ہوتی ہیں لیکن دستہ میں ہونا بہت کم ہے۔

پاکستان کو روس اور یو۔ ایس۔ اے۔ سے جو پتھریا مل رہے ہیں اس کی بھی بہت چرچا ہوئی ہے۔ وہ تو ایک چرچہ ہے۔ بگڑی ہے۔ لیکن تو پتھریا بھی ہو۔ ماضی ہو کہ کیوں اس کی بنا کر نہ ہو۔ اگر تم کو مقابلہ کرنا ہی ہے تو زمین سے کرو زمین کے جس طرح سے اپنی پیداوار بڑھانی ہے اس طرح سے تم بھی اپنی پیداوار بڑھانا۔ اس کے ساتھ اپنی پیداوار کو ملا کر زمین کے پتھریا سے زمین میں کھجیوں آدمی کی پیداوار کم سے کم زیادہ کر لی ہے۔ خوراک کی پیداوار کم سے زیادہ کر لی ہے۔ یو۔ ایس۔ اے۔ یا کھی دوسرے دیش کا وہ محتاج نہیں ہے۔

سائینسٹ قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے بہتر زمین سے بہتر زمین بیج بنانے کی کوشش کی ہے جس سے بیہزار پڑھ سکے۔ لیکن اس بیج کا استعمال کتنا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب بھی آپ باہر سے غلہ منگاتے ہیں۔ کسان جو عریب ہے وہ اس کا استعمال کر نہیں پاتا ہے۔ وہ بھر سکتے ہیں پاتے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہر سکتے ہیں وہ ان کو بیج سے ایک ہزار جن کے پاس پاس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سے زیادہ زمین ہے۔ ۲۵۰۰ ہزار ہر سکتے میرے پاس دھاتی بیج نہیں ہے۔ ۲۵۰۰ ہزار انہی ڈار تو آپ کے اور میرے کوئی وجہ نہیں ہے۔ سب سے بل کے آئے سے کسان کا بھلا پتہ دلا گیا ہے۔

اگر صرف کسان کا بھلا چاہی ہے تو وہ کوئی ایسی شکل نکالے کہ فوج پر ہمارا خرچہ کم ہے۔ یہ ہر بار پاکستان اور چائنہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی نہیں کرتی ہے۔ آخر کس نمائے کہلے کہ ہمسایہ ممالک ہماری بات رکھی

بنائے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس وقت ہمارا ساتھ کسے ہر چہ فوج پر ہمارا ہاتھ۔ اگر نیکو رہیں۔ اس میں کا کوئی بھی فوج نہیں ہوگی ہمارے دہلاہٹ کوئی نہ لڑا اور ہمارا اس میں نہیں بیٹھنے۔

ہمارے سائینسٹ تو بہت کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہم بناتے ہیں اس میں شکاف ہوتا ہے۔ ڈیم ہر ہمارے ہیں اور سینڈل وڈ آدمی بہرہ جاتے ہیں جیسے کہ یو۔ ایس۔ اے۔ آدمی بہرہ لگے۔ ایسی حالت میں سائینسٹ کیا کرے گا اور سب بھی کیا کریگا۔ ہمارے ملک میں اتنا بڑا ایکٹو سیکٹر قائم کیا گیا ہے۔ کسانوں نے محنت کی ہے۔ سائینسٹ نے اپنی قابلیت دکھائی ہے۔ لیکن آج ہمارے ریگیمینٹل انکم ایک عریب سے عریب ملک سے بھی کم ہے۔ شرمناک ان کا نہ بھی کسی بارے میں کوئی جواب دے سکیں گی۔ مجھے اس بارے میں کوئی تنکدیف نہیں ہے کہ میری بہن شرمناک ان کا نہ بھی لے اچھے بیج کوئی کام تو دیا۔ دینا چاہیے۔ کیوں نہ دیں۔ ہر کام سسر ہونے کی وجہ سے ان بیجاری پر کوئی پابندی نہیں لگا جاتی ہے کہ اگر ان کے بیج کا دامع چلنا ہے تو ان کو مینقہ نہ دیا جائے۔ لیکن یہ سمجنا نہیں ہے کہ کوئی مطلقہ میں ہو اور۔۔۔ (دور دھان)۔۔۔ میں کوئی پتہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی نظر دیکھنے کے بجائے شرمناک ان کو بھرا یا کسی کسان کے لڑکے کو یہ موقع دے دیتیں۔

شرمناک ان کو بھرا سکتے ہیں اس بارے میں جانوروں کا ڈار کہہ ہے میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتے کہنا چاہتا ہوں  
"آں شیخ باجراش ہم گشت گرد شہر ..  
"کر والہ دور ملو لہ اس نام آرزوست .."



[श्री नाथूराम अहिरवार]

को हर चीज महंगी मिलती है। किसान की पैदावार जो है उस के दाम सस्ते हो गए। तो जब किसान का गल्ला सस्ता हो गया तो किसान दूसरी वस्तुएं सस्ती चाहता है। हमारे क्षेत्र में तम्बाकू होती है। तम्बाकू पर आपने टैक्स लगा रखा है, सेंट्रल एक्साइज वाले जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि आप के अधिकारी कितना भ्रष्टाचार करते हैं। यह गवर्नमेंट को भी चीट करते हैं और किसान को भी परेशान करते हैं। 4 सौ मन तम्बाकू पैदा हुई तो लिख दिया 200 मन और बाकी का पैसा रिश्वत में में ले लिया। मैंने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि 8 सौ मन तम्बाकू हुई है, 200 मन लिख गया गया और 600 मन को छोड़ गया। इस तरह यह लोग इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। आपने प्रावधान कर दिया है कि क्लेक्टर को कोई बीच में रूकावट करेगा तो उसको 6 महीने की सजा या 2 हजार रुपये जुर्माना या दोनों कर सकते हैं। इससे वह मन-मानी करेंगे और किसान को परेशान (हेरेस) करते हैं। मेरा यह कहना है कि किसान कोई पैदा करता है तो उसका हेरेसमेंट न किया जाय और जो छोटे किसान हैं जो थोड़े से क्षेत्र में अपनी चीज पैदा करते हैं उनको राहत दी जाय। इस के साथ साथ जितने आपके कर्मचारी हैं इनके अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसकी रोकथाम की जाय। यही मेरा निवेदन है।

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): I am speaking on my amendments. I should like to congratulate the Minister, as I congratulated yesterday the Minister of Mines and Metals, that he has brought forward a Bill which is completely useless and redundant but at the same time useful because it gives us an opportunity to speak on his subject,

There is no provision in this Bill which does not already exist in the Customs Act.

Clause 5A says that the Customs Act will apply. Even this is not necessary because you have been acting under the Customs Act. If it was necessary to repeat it to make it clear that the Customs Act applies, it would have been enough for you to have enacted 5A saying that the Customs Act applies. Having allowed an Act running into 150 sections to apply you have now added three more sections.

The first clause says that whoever evades payment of any customs duty under this Act will be punished. If you refer to the Customs Act, sections 135 already provides for that. Next, it says whoever fails to furnish information will be punished. I should like you to refer to section 132. Then it says, whoever obstruct the collector ..... I should like you to refer to section 133. Next, we come to the confiscation of vessels and other implements used in the commission of the offence. Please refer to section 119. Is it not possible for this Ministry even to study the parent Act? what is the point in taking up our time when it is quite clear that these sections already exist? what difference is there between them? when there is a certain provision why should it be repeated again? Is it not likely to lead to confusion and litigation? This is the way in which work is brought before this House which implies, I am sorry to say, a great waste of public time.

Let us see the change made in section 7. Instead of the word Central Legislature they want the word 'parliament' Is it necessary to be a Bill to do this? We are still using the word Central Legislature; this House and Rajya Sabha are the Central Legislature; we do not want a Bill for that.

Clause 6 says that the rules made should be laid on the Table of the House. There was a simple provision in the old Act. Now they have taken fifteen lines to say the same thing. He must take his officers to task for having Bills like this because that implies a certain abuse of the legislative machinery and its time which you are taking up at the expense

of more important subjects to be considered.

This Bill, as Mr. Randhir Singh has taken it in that direction, had been a discussion on agriculture. Before we proceed to the subject which he has opened up, what is the import of this Bill? It is going to secure to the Government a revenue of Rs. 4,000 a year. You want a bill of these dimensions in respect of Rs. 4,000 a year? I am mentioning that figure to show the unimportance of this Bill. I am also mentioning that figure for this reason that for Rs. 4,000 do you want to have a cess? Is it necessary to have this classification of 21 items and is it necessary to have staff, unless and credit this amount to the Council. If you look at this matter, each one of us has to make the legislature castigate the Government. Are they up all our time to recover Rs. 4,000 annually according to the present rates?

Now, I am coming back to Mr. Randhir Singh's diversion, the subject of agriculture. I will be a little more relevant than he was. I will speak on agricultural exports, because the cess relates to exports and not to research or bulls or whatever other items were mentioned by Mr. Abdul Ghani Dar. What is the position regarding our agricultural exports? What are you exporting now? You are exporting sugar. Sugar is an agricultural commodity. I do not think it is covered by this Bill. It would have been a very much bigger amount if sugar was covered by this Bill. If they are really in earnest, they should have brought that item under this Bill. If that had been brought in, no doubt we would have a substantial amount realised. What is the position regarding sugar? It is this. you have to pay to export sugar. You have to pay to the sugar-owner, saying "Export sugar, and this is the subsidy." What also are you exporting? You had a certain tobacco export, and the export of hides which are not included here. In spite of things being as good as they are in agriculture—they have never been better—our export figures all the time are declining. We are exporting other things, but these items are not showing any increase. I may be mistaken because there may be same improvement in certain items. For example, pepper is going down. I had occasion to raise this ques-

tion earlier. Tobacco is not doing too well. Cotton too is not a matter on which we can congratulate ourselves.

Sir, the Ministry must apply its mind to these matters and not to Bills like this. The Ministry has to consider how to increase exports, how to proceed. Here is one item which I mention. I am sorry Mr. Randhir Singh who is so representative of bulls forgot this. We had a very big export in bones. Cattle bones are not included here, and by some system or other, these bones are no longer collected and no longer exported; not enough is done in that regard. We have one-fourth of the cattle population of the world, and if only we could collect our cattle bones we would have quite a substantial income from them. I would like Mr. Randhir Singh, considering his passion for agriculture and bulls, to direct his research on the subject of what becomes of the bulls, when they die, and particularly to their bones. Why should the bones not form part of the export on which cess could be collected under this Bill?

I would, therefore, say that the Minister may kindly record this Bill. Sections 5 and 6 are redundant, unnecessary, and should not burden the Statute-book. Also, I hope Minister will take adequate action against those officials who have so completely forgotten their duty to read the original Customs Act before they proposed this elaboration in this way.

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : सभापते महोदय, यह ऐक्ट जिसका आज अग्रेन्डमेंट हो रहा है वह 1940 का है। हमको कभी कभी ताज्जुब होता है कि आजादी के तुरन्त बाद हमने क्यों नहीं अंग्रेजों के बनाये हुए सारे कानूनों पर एक ध्यान दिया और उन सब में ग्रामूल परिवर्तन क्यों नहीं किया गया। हम तो समझते थे कि जब स्वतंत्रता आयेगी तो अंग्रेजों के बनाये हुए सारे कानून खत्म करके एक नया संविधान और उसके अन्तर्गत नये ही कानून इस देश में चलेंगे लेकिन चाहे वह कानून एग्सीक्यूटिव सेस का हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कौड हो और चाहे आई पी सी हो, आज भी सभी



[श्री रणजीत सिंह]

अंग्रेजों के बनाये हुए कानून ही चलते आ रहे हैं। आज उसमें जब छोटे छोटे अमेन्डमेन्ट्स आते हैं जो बड़ा हास्यास्पद लगता है और ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने सोच विचार करके कुछ किया उसमें बिना सोचे विचारे परिवर्तन करने की कोशिश कुछ लोग केवल इस कारण करते हैं कि वह कुछ दिला सके कि हम भी कुछ कानून बना सकते हैं। क्यों कि इस बिल का कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि केवल एक व्यावहारिक बिल है। इससे कोई फायदा नहीं होने का है जो साल में 4,000 रु० की आमदनी होती है। मैं समझता हूँ कि जब तक यह बिल पास होता, दोनों सदनों में जब तक इस पर बहस होगी जब तक सारे सदन का समय मिला कर के 4,000 रु० खर्च हो चुका होगा। इसलिये ऐसे बिल लाना सदन का समय बर्बाद करना ही है। मैं माननीय लोबो प्रभु जी से इतफाक करता हूँ कि इस बिल पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये, इसे वापस लेना चाहिये और जब लाना ही है तो और इफेक्टिव चीज लायें। 1940 के ऐक्ट को स्कैप करें। बहुत से परिवर्तन हमारे कृषि क्षेत्र में आजा हो गये हैं और सरकार उन का फायदा उठा सकती है।

एक चीज मुझे सेस के विषय में अच्छी लगती है कि इस से जो कुछ मुनाफा होता है वह ऐग्रीकल्चर रिसर्च के लिये खर्च किया जाता है। लेकिन इंडियन काउन्सिल आफ ऐग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका करोड़ों रु० का बजट है, केवल 4,000 रु० और उस को दे देना दाल में नमक के बराबर भी नहीं है, और उसके लिये स्टाफ रखना केवल पाकिस्तान की ध्योरी को सिद्ध करना है, और कोई उस का मुद्दा नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये हमारे राज्य मंत्री महोदय

जी बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं उस की तारीफ करता हूँ क्यों कि वह स्वयं एक कृषक है। वैसे तो आज एक रहस्योद्घाटन यह हुआ है कि जो सदैव कृषकों के नाम पर बोला करता था आज उस ने यह कहा कि मेरे पास तो ढाई बीघा भी जमीन नहीं है। तो किसानों के रिप्रजेन्टेटिव बन कर किस तरह से वह सदस्य बात करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। कभी कभी सैनिकों के नाम पर भी वह बोला करते हैं, और मेरे खयाल में कुछ दिन में कन्फेशन करेगे कि कभी तमंचे को हाथ में नहीं उठाया।

श्री रणधीर सिंह : यह नकली मेजर हैं इसीलिये आर्मी से निकाले गये। मुझे फख्र है कि मेरे पिता अभी जिन्दा हैं, उन के पास सौ बीघा जमीन है।

SHRI RANJEET SINGH : Now the cat is out of the bag. He is a capitalist, a bourgeois. How does he represent the farmer ?

श्री रणधीर सिंह : इन को पता नहीं कि सौ बीघे जमीन कितनी होती है। यह बनिया है, इस को पता नहीं।

श्री रणजीत सिंह : मेरा निवेदन है कि मंत्री जी सारे ऐग्रीकल्चर स्ट्रक्चर से संबंधित कानून हैं उन सब पर विचार करें चाहे वह किसी साल का बनाया हुआ हो। आज हमारी 84 फीसदी जनता ऐग्रीकल्चर के ऊपर है। जो 16 फीसदी जनता शहरों में रहने वाली है उस में से बहुत से ऐसे हैं जो मजदूर तबके के लोग हैं और कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस 84 फीसदी जनता का ऐक्स-पोर्ट प्रोमोशन में एक कंट्रीव्यूशन हो जाय। अब तक 16 फीसदी आबादी के ऊपर आप ने यह भार छोड़ा है कि वह काफी 84 फीसदी आबादी को ले कर चले। इसीलिये आर्थिक स्थिति में आप पिछड़ रहे हैं, और आज जो कर्जा लदा हुआ है उस के भार से हमारी

पीढ़ियां दबती रहेगी। जब यह बात साफ हो गयी है कि जब तक कृषि क्षेत्र में प्रगतिशील और गतिशील उन्नति नहीं करते हैं तब तक हम संसार में पिछड़े रह जायेंगे तो सारे एग्री-कल्चर और रूरल विषय से संबंधित कानूनों पर पुनर्विचार होना चाहिये, और वह होना चाहिये एक ऐसी कमिटी द्वारा जिस में किसान भी हों, टैक्सों के विशेषज्ञ भी हों और अर्थ नीति के भी विशेषज्ञ हों। मैं इसलिए भी कहता हूँ कि यह कहा गया है कि कृषि प्रधान देश के लिये विदेश मुद्रा का सबसे बड़ा साधन रहता है कि वह अपनी कृषि की चीजों का निर्यात करे। हम ऐसी स्थिति पर आ रहे हैं जब थोड़े दिनों में हम रा एग्रीकलचरल प्रोडक्शन सरप्लस हो जाएगा लेकिन तब पूरे वर्ल्ड में हमारे देश को कोई मार्केट नहीं रह जाएगा कि हम अपनी एग्रीकलचरल प्रोड्यूस वहां भेजे। आज ये 21 आइटम्स हैं। थोड़े दिनों बाद हमें जरूरत पड़ेगी कि हम बुनियादी कृषि की चीजों का भी एक्सपोर्ट करें जैसे कि गेहूँ है, चावल है। आज दुनिया भर में हमारा देहरादून का चावल या बांसमती चावल बहुत मशहूर हो रहा है। यहां पर हमारे एक मित्र ने बताया कि अफ्रीका में जो चावल जाता रहा है वह वही चावल होता है जो यहां से अमरीका भेजा जाता है। अमरीका से वह टिन्ड होकर डिब्बों में पटना राइस कर के साऊथ अफ्रीकन युनियन में बिकता है क्योंकि हम वहां पर अपना चावल नहीं भेज सकते हैं। हमारे एग्रीकलचर के सीड्स भी संसार भर में मशहूर हो रहे हैं जैसे सोनिलका, सोनोरा 64, शरबती सनोरा 64 जो कि अद्वितीय चीज है। इन सब को एक्सपोर्ट करने के लिए यह जरूरी है कि हम कृषि के क्षेत्र में अभी कुछ न कुछ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें चाहे हमें अपनी कमर कस करके चलना पड़े, और चाहे हमें अभी उतनी खाद्य स्थिति पर चलना पड़े जितने पर हम इस समय हैं, लेकिन

फौरन एक्सचेन्ज अनिग के लिए थोड़ा कृषि क्षेत्र से एक्सपोर्ट हयारा होना चाहिए।

इस ध्येय को ले कर जब हम चलते हैं तो क्या ऐसा बिल कोई माइने रखता है? क्यों नहीं एग्रीकलचर विषय की सारी चीजों पर हम ध्यान दे कर चलें और आप के यहां हरी क्रान्ति हो रही है, जिस में सरकार अडगें डाल रही है उस हरी क्रान्ति का फायदा उठा कर यह देखते हुए कि दो तीन साल के बाद हमारे कृषि उत्पादन का क्या हाल रहेगा, उस पर विचार करते हुए सारे कानूनों को फिर से बना डाले। क्या कृषि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। इस का मैं उन से उत्तर चाहूंगा कि मैं जानता हूँ क्योंकि बुनियादी रूप से इन विचारों से वे सहमत हैं। तो सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि इस बिल के ऊपर, जो बिलकुल बेकार चीज है, विचार करना व्यर्थ है और आप मंत्री जी को आदेश दें कि वह सब कुछ फिर से देख करके सारी अपनी कृषि नीति और अर्थ नीति, यदि कोई अर्थ नीति सरसार के पास है सिवाय नारों के, पर विचार करके नये ढांचे में सारे कानून को ढाल दें और तब एक कंसोलीडेटेड बिल हम लोगों के सामने लाए जिस में एग्रीकलचर एक्सपोर्ट हो, एग्रीकलचर रिसर्च की चीजें हों और उसी में से ये सब चीजें निहित हो जाएं।

**SHRI ANNASAHIB SHINDE :** Sir, I have heard with attention the observations made by the hon. Members in regard to legislation before the hon. House. A point has been made out by Shri Lobo Prabhu that this piece of legislation is unnecessary and uncalled for. Of course, Shri Lobo Prabhu is a very knowledgeable member of this House and I have great respect for him. But does he presume that we have come before the House without looking into the legal aspects of the problem? With all due respect to his knowledge, I would like to say that we have consulted the Law Ministry and it is on the advice of the Law

[Shri Annasahib Shinde]

Ministry that we have come before the House. It is not as if we have not looked into the points raised by Shri Lobo Prabhu. The position is like this. The Customs Act has been enacted in 1962 while the Agricultural Produce Cess Act was enacted as a piece of legislation in 1940. The legal opinion which was available to us said that unless we made necessary amendments, some legal complications might arise in regard to the enforcement of this Act. On the basis of very sound legal advice we have come before the House. I do not concede the point that it is an unnecessary exercise or that this Bill uncalled for.

Then Shri Shiva Chandra Jha, who has also given notice of some amendments—I will come to them later on—has asked a factual question as to what is the collection of cess from wool, raw wool, animal hair etc. I have not got all the figures with me. Here I may say that an impression is being given by Shri Lobo Prabhu again that the entire income of Government...(Interruption) I would like to inform the House that the total collection from this cess which goes to agricultural research is Rs. 78 lakhs to Rs. 80 lakhs.

SHRI LOBO PRABHU : Is it a misprint ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : It is not a misprint. The total cess which is levied on various commodities—this is one of the commodities listed in that—comes to Rs. 78 lakhs to Rs. 80 lakhs and it is annually increasing. Some hon. Members have made a suggestion that various other commodities should be brought under the purview of this Act. Shri Lobo Prabhu himself suggested sugar and some other Members referred to some other items. I think, it is a suggestion worth considering because it is very necessary and, as Shri Randhir Singh has rightly pointed out, research is very important.

SHRI RANDHIR SINGH : There are two non-knowledgeable Members in this House and both are non-kisans. The great Major said Rs. 4,000 and he also said Rs. 4,000.

SHRI LOBO PRABHU : May I read out for the benefit of the Member..... (Interruption).

SHRI ANNASAHIB SHINDE : You have not misquoted.

SHRI LOBO PRABHU : Please explain to him, the rural Member.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I think, we should not create an unnecessary controversy.

SHRI RANDHIR SINGH : How could he, the most non-knowledgeable person, become a Secretary to the Government of India ? I pity your knowledge. You must withdraw.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Suggestions as to what other commodities possibly can be brought under the purview of this Act are always helpful suggestions and I may assure the House that it will be the effort of my Ministry to examine this question in future so that more income is available for agricultural research.

As to the question of Shri Shiva Chandra Jha as to what was the amount received under this on amount of export of animal hair, it is Rs. 1,27,000 roughly.

श्री शिव चन्द्र झा : एनिमल हेयर में कौन कौन से ऐनिमल का हेयर है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Mainly sheep and goats were involved. Mainly it is wool. Of course, goat's hair is also involved in it. What other small quantities are involved in it, I can find out, but figures are not with me now.

Then, the hon. Member, Shri Sarjoo Pandey, who is not here, asked as to what was the use of this Act because export trade was in private hands. He said that the whole export trade should be nationalised. I have no quarrel with this proposition which he has made but even if the export trade is nationalised, this Act would help us to levy cess on exportable commodities so that this cess is available to the Indian Council of Agricultural Research for carrying on research activities.

As for as the specific question of nationalisation is concerned, it is beyond the purview of the present legislation and perhaps Shri Sarjoo Pandey can take it up with the appropriate Ministry.

Then, Sir, I am glad that Randhir Singhji focussed the attention of this hon. House on the importance of the activities carried on by the Indian Council of Agricultural Research. I am grateful to him. Ultimately the goodwill of the House is necessary so that agricultural research activities are carried on in a good atmosphere in the country.

Various other Members have raised some other points.

Shri Abdual Ghani Dar spoke at length. Most of his points were irrelevant and did not touch any of the aspects either of the Clauses or the provisions of the Bill.

Maj. Ranjeet Singhji raised a point that since agricultural production is now coming up in the country, why not we have a fresh look into the legal provisions, and others connected with agricultural. I think it is really a very encouraging sign that agricultural production is coming up. If we really become a surplus country, we will have to take a fresh look into the matter. May I assure you that my Ministry is very much alive to the problem? Suppose our country emerges as a substantial exporter of foodgrains, etc., I think at the appropriate stage necessary steps will have to be taken. Even otherwise we will have some perspective studies of the problems and those studies will help us to arrive at appropriate conclusions.

There is hardly any other point which needs further clarification. I would again appeal to the good sense of the hon House and hon. Members. This is a non-controversial measure. We need not spend much more time on it. I seek the sport of all of you to pass this measure unanimously.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Agricultural Produce Cess Act, 1940, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

Clause 2 (*Amendment of Section 2*)

Clause 3 (*Amendment of Section 5*)

MR. CHAIRMAN : There are no amendments to clauses 2 and 3.

So, the question is :

"That clause 2 and 3 stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

Clause 4 (*Intention of new Sections 5A and 5B*)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Sir, I beg to move :

page 2, line 22,—

for "six months" substitute

"One year". (1)

बिधेयक में छः महीने को सत्रा की व्यवस्था है। इसको मैंने कहा है कि एक साल कर दिया जाए। यह उनके लिए है जो सैस को इवेड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस संशोधन को मान लिया जाए।

MR. CHAIRMAN : I shall now put amendment No. 1 to clause 4 to the vote of the House.

*Amendment No. 1 was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 4 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

Clause 5 (*Amendment of Section 7*)

श्री देव राय पाटिल : मुझे बताया गया है कि कमेटी में लोक सभा के छः प्रतिनिधि हैं और मॅनेजमेंट बोर्ड पर एक है। इसको मैं काफी समझता हूँ। इस बास्ते में अपनी एमेंडमेंट मूब नहीं करना चाहता।

MR. CHAIRMAN ; The question is :

“That clause 5 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 5 was added to the Bill.*

**Clause 6 (Amendment of Section 9)**

MR. CHAIRMAN : There is no amendment to Clause 6. So, the question is :

“That Clause 6 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 6 was added to the Bill.*

**Clause 7 (Amendment of the Schedule)**

MR. CHAIRMAN : There is an amendment, Amendment No. 2 by Shri Shiva Chandra Jha.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I am moving my amendment No. 2.

I beg to move :

page 3, line 4,—

add at the end

“and animal skin and tusk” (2)

मंत्री महोदय को पता होगा कि एनिमल स्किन भी किसी न किसी रूप में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस स्थिति में वह शिड्यूल में एनिमल स्किन को भी क्यों नहीं रख रहे हैं ? जहाँ तक मेरी जानकारी है बाघ की खाल आसन और विद्यावन के रूप में नेपाल आदि देशों में ले जाई जाती है। कई दूसरी खालें पाकिस्तान में जाती हैं। जब मंत्री महोदय शिड्यूल में एनिमल हेयर को रख रहे हैं, तो फिर वह एनिमल स्किन को भी क्यों नहीं शामिल कर लेते हैं ?

इसके अलावा टस्क, हाथीदांत, भी छिपे रूप में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस पर सस लगना चाहिये, लेकिन सरकार को इस समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शिड्यूल में हाथीदांत को भी इन्क्लूड करना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस बारे में तफसील से गौर करेंगे। उनके पास ग्रफसरो की इतनी बड़ी पलटन है। अगर वह 1947 से लेकर आज तक इस पर गौर नहीं कर पाये हैं, तो क्या अब वह बीस बरस बाद दाद गौर करेंगे ?

मेरा संशोधन यह है कि शिड्यूल में एनिमल स्किन और टस्क को भी रख दिया जाये। इससे यह क्लाइमिनेशन हो जायेगा।

SHRI ANNASHIB SHINDE : With regard to the amendment of the hon Member, regarding 'animal skin', if the hon. Member is good enough to look to the old Schedule of this Act he will find that there is already a provision in this regard. There is item 10, hides raw, and again item 15, skins raw. This amendment is already a part of the law and therefore this is unnecessary. In the original Act itself there is a schedule and there is a list of about 21 items there. Items 10 and 21 specifically refer to this item. This is only an amendment to the original Act and already there is this provision in the original Act.

Now, the only item that is not covered and which the hon. Member now wants, is tusks. Now, principally, I have no objection to this, but lot of consultations would be necessary with the Planning Commission and customs offices and there are various implications which will have to be examined, and I can assure the hon. Member that we will examine all this and all the commodities which can be brought under this. As I have already indicated, in the interest of agricultural research in this country it is necessary and desirable to

bring in as many commodities as possible which could be taxed so that this cess may be leviable and income augmented. But these are things which would require deeper examination and therefore I would request the Hon. Member to withdraw his amendment. He will look into this subject with other commodities at a letter stage.

MR. CHAIRMAN : I will now put amendment No. 2 of Shri Jha to the vote.

*Amendment No. 2 was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 7 stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 7 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula*

*and the Title were added to the Bill.*

SHRI ANNASHIB SHINDE : I beg to move :

"That the Bill be passed".

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill be passed".

श्री शिव नारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, जिस बात के लिए यह बिल लाया गया है उसके लिए बिल पहले से मौजूद है और 4 हजार रुपये के लिये गवर्नमेंट 50 हजार रुपये खर्च कर रही है बिलकुल अननसेसरीली । सरकार को चाहिये था कि ऐग्रीकलचरल के डेवलपमेंट में मदद करे, पैदावार इस देश में बढ़े देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अनाज पहुँचे, तो आप को तो इसमें मदद करनी चाहिये जिस से कि किसान अपनी पैदावार और बढ़ाए और आप जो अमेरिका से गेहूँ और बर्मा से चावल मंगाने हैं वह मंगाना बन्द हो । इतना वेस्ट क्यों कहते हैं ? इतना मनी अननसेसरी

खर्च कर रहे हैं । 500 मेम्बरों की तरफ़्वाह और भत्ता जोड़िये कितना होता है । गवर्नमेंट को सोचना चाहिये । यह अननसेसरी बिल यहाँ क्यों ले आई ? इस तरह इतना टाइम वेस्ट करते हैं, मनी का लास करते हैं, यह अननसेसरी बर्सेन आन दि कन्ट्री है । इस लिए मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह इस को विदड्डा करे ।

SHRI ANNASHIB SHINDE : Is there any need to reply to these points ? I have already explained and covered all these points.

MR. CHAIRMAN : The question is :  
"That the Bill be passed".

*The motion was adopted.*

16.58 hrs.

*Taxation Laws (Amendment) Bill.*

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF FINANCE (SHRI VIDYA  
CHARAN SHUKLA) : I beg to move :

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

This Bill was introduced in the House during the monsoon session of 1969, and this House is in its wisdom referred this to the Select Committee. The report of the Committee was presented to the House by the Chairman on the 3rd August. The Committee held about 31 sittings, examined a larger number of memoranda, I think, about 88, and about 42 institutions and individuals were examined as witnesses, and they went into this Bill in great detail. I must congratulate the Select Committee for the very thorough work that they have done as regard this very important Bill. The Select Committee has made good many changes in this Bill. Rather than tire the House with the details of the Bill which containing about, 74 clauses. I would only in brief indicate the changes that have been made by the Select Committee.